न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या– 06/2019

दायर दिनांक– 24.05.2019

निर्णय दिनांक – 01.12.2021

जीसीएमएस नं0 –2019/00058

प्रार्थीगण — **बनाम** — **अप्रार्थी गण**

प्रार्थीगण:

1. श्री हनुमान सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत (मृतक) जरिये वारिसानः–
   1/1 श्री उम्मेद सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी कड़ैल तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
   1/2 श्रीमती कैलाश कंवर पुत्री श्री हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी कड़ैल तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

अप्रार्थी गण:

1. श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री भंव सिंह जाति राजपूत निवासी कड़ैल तहसील पुष्कर जिल अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।
3. भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पुष्कर जरिये प्रबन्धक

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 व 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति– 1. श्री मदनपुरी गोस्वामी, अधि0, प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 सपठित धारा–132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम रेंवत तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 के खाता सं. 181 में अप्रार्थी सं. [illegible] प्रार्थी सं. 1/1 व 1/2 का नाम वर्किंग जमाबन्दी में दर्ज प्रविष्टि के अनुसार वर्तमान जमाबन्दी में बहिस्सा बराबर संयुक्त रूप से दुरूस्ती करने हेतु प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:51:23 IST
Reason: SelfAttested

01.12.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

प्रार्थीगण अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण ने उल्लेख किया है कि ग्राम रेंवत तहसील पुष्कर में स्थित आराजी जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

वर्किंग खसरा नं.	रकबा(बीघा)	आधार ख. नं.	रकबा(हैक्ट.)
1221	06–05–10	379	1.02
1224	04–16–00	374	0.78
1226	00–07–00	366/697	0.06
1883	04–13–00	553	0.75

उपरोक्त आराजी वर्किंग जमाबन्दी में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 01 की सयुंक्त खातेदारी में दर्ज है । किन्तु भू–बन्दोबस्त की कार्यवाही के दौरान सहवन से प्रार्थी का नाम वर्तमान रिकार्ड/जमाबन्दी में अंकित करने से वंचित रह गया। इस कारण उपरोक्त सम्पूर्ण आराजी अप्रार्थी सं. 01 के नाम दर्ज हो गई।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना–पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं. 01 के द्वारा दिनांक 01.12.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान कड़ैल में उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजी दोनों भाईयों के नाम थी जिसे वर्तमान में सहवनवश मेरे नाम कर दिया जिसे दुरूस्त कर हम दोनों भाईयों के नाम किये जाने की सहमति प्रदान की गई तथा अप्रार्थी सं. 02 तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार पुष्कर द्वारा पत्र क्रमांक/तह.पुष्कर/कोर्ट/2021/1930 दिनांक 21.09.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि **'' ग्राम रेंवत स्थित वर्तमन आराजी ख.नं. 379 रकबा 1.02 हैक्ट., 374 रकबा 0.78 हैक्ट., 366/679 रकबा 0.06 हैक्ट., 553 रकबा 0.75 हैक्ट. वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रघुवीर सिंह पुत्र भंवर सिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार राहिन भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पुष्कर के नाम दर्ज है। वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 के खाता संख्या 84 पर उपरोक्त खसरा नम्बरान् के पुराने नम्बर 1221, 1224, 1226, 1883 पर हनुमान सिंह व रघुवीर सिंह पिता भंवरसिंह कौम राजपूत सा. देह राहिन रघुवीर सिंह पिता भंवरसिंह भीलवाड़ा अजमेर से ग्रामीण बैंक शाखा पुष्कर मुर्तहिन दर्ज है। प्रार्थीगण ने इन्द्राज दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। वर्किंग जमाबन्दी अनुसार दोनों भाई हनुमानसिंह व रघुवीरसिंह पिता भंवरसिंह दर्ज है व वर्तमान जमाबन्दी अनुसार रघुवीरसिंह पिता भंवरसिंह दर्ज है। अतः दुरूस्ती किया जाना उचित है।''**

प्रार्थीगण अभिभाषक द्वारा दि[illegible]10.2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 सपठित [illegible] पर प्रार्थी अभिभाषक को सुना गया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर शामिल मिशल किया गया। प्रार्थीगण अभिभाषक द्वारा दिनांक 08.10[illegible] पेश किया जो बादतस्दीक शामिल मिशल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:51:23 IST
Reason: SelfAttested

01.12.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली काअवलोकन किया तथा उभय पक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों यथा–तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट, जमाबंदी की नकल एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि राजस्व ग्राम रेंवत तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 के खाता सं. 181 में रघुवीर सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/2 राहिन भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पुष्कर के साथ प्रार्थी श्री उम्मेद सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह जाति राजपूत व श्रीमती कैलाश कंवर पुत्री श्री हनुमान सिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/2 का नाम वर्किंग जमाबन्दी में दर्ज प्रविष्टि के अनुसार वर्तमान जमाबन्दी में बहिस्सा बराबर संयुक्त रूप से दुरूस्त कर **दर्ज करना, न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।**

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर) सत्यमेव जयते

–:: क्रियात्मकआदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि **राजस्व ग्राम रेंवत तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 के खाता सं. 181 में रघुवीर सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/2 राहिन भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पुष्कर के साथ प्रार्थी श्री उम्मेद सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह जाति राजपूत व श्रीमती कैलाश कंवर पुत्री श्री हनुमान सिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/2 का नाम वर्किंग जमाबन्दी में दर्ज प्रविष्टि के अनुसार वर्तमान जमाबन्दी में बहिस्सा बराबर संयुक्त रूप से दुरूस्त कर दर्ज जावे।** पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2021 को मेरे द्वारा सरे–इजलास सुनाया गया।

01.12.21

सुखारामपिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस)
पुष्कर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:51:23 IST
Reason: SelfAttested